स्वतन्त्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मर्यादित अभिमत

हमने, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे उल्लिखित 1 से 2 मर्यादित अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना इस प्रकार देते हैं जैसा अपेक्षित है एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ तथा उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नगद प्रवाह की एक सही व निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मर्यादित अभिमत के लिए आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानक (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व अपनी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख करना है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों एवं उसके तहत बने नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीतिपरक संहिता के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं एवं हमनें इन अपेक्षाओं एवं आचार सहिता के अनुसार अपने अन्य नीतिपरक उत्तदायित्वों की पूर्ति की है। हमारा विश्वास है हमें प्राप्त ये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं एवं हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए यथोचित हैं।

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 36 में उल्लेख किया गया है व्यापार की प्राप्तियों, व्यापार की देनदारियों, ऋण एवं अग्रिम राशि, प्रतिभूति जमा एवं अन्य देयताओं के तहत दर्शाई गई शेष राशि में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED

Report on the audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required except the effects /possible effect of the matter described in the basis for qualified opinion paragraphs 1 to 2 stated below and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March, 2020, and profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

1. As stated in Note No.36 of the financial statements, balances appearing under Trade Receivable, Trade Payables, Loans and Advances, Security Deposit and other liabilities, no confirmations have been received.

2. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध "क" के अंतर्गत बिंदु 'x:– सीएसआर परियोजना के संबंध में एक कर्मचारी के विरूद्ध ध ोखाधड़ी वित्तीय अनियमितताओं तथा व्यक्तिगत आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए डोनेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करने से संबंधित मामले की सूचना दी गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच की गई और दिनांक 22 मार्च, 2018 को पीडीआईएल के प्रबंधन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में कर्मचारी पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई। चूंकि संबंधित लेन–देन पिछले वर्ष के हैं इसलिए इसका इस वर्ष के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है।

वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में मंडल की रिपोर्ट के अनुबंध सहित मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना सम्मिलित होती है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है एवं ऐसा करने के लिए जब यह उपलब्ध हो जाती है, तो इस बात पर विचार करना कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में हासिल हमारी समझ या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम मंडल की रिपोर्ट में शामिल अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, एवं इसके उपरांत यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्याकथन है, तो हमें इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाना होगा।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

ये वित्तीय विवरण, जो कि कंपनी (लेखा) नियमावली, इसके नियम के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

2. Point 'x' under Annexure "A" to the Audit Report: - A case of fraud/financial irregularities was reported against one of the employees in regard to CSR project and obtaining of Donation Certificates for availing personal Income Tax benefits. The Vigilance Department has carried out detailed investigation and submitted their report to management of PDIL on March 22, 2018. The Report of vigilance department has confirmed the allegations made against the employee. Since the transaction pertains to earlier years, it has no impact on profit for the current financial year.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's report including Annexures to the Board's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and when it becomes available, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information included in the Board's Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules prescribed there under.

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपटों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन और लागू करने के लिए, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने के लिए और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखाकरण रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, के कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए, वित्तीय विवरण, जो वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथन चाहे वह कपटपूर्ण हो या गलती से हो से मुक्त हैं, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबद्ध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों का अनुरक्षण करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के तौर पर जारी रखने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का विगोपन करने यथा लागू, एवं लेखांकन के आधार पर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बेचने या कंपनी का प्रचालन बंद करने का इरादा न रखतो हो या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरण के लिए लेखा–परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त पूर्णरूपेण आश्वासन प्राप्त करना है चाहे वे महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हों, चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा त्रुटिवश एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जो हमारे अभिमत से युक्त हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक प्रकार से उच्च स्तर का आवाश्वान है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्टैंडअलोन के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा मिथ्याकथन को पकड़ेगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी के कारण अथवा त्रुटिवश भी हो सकती है एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णय अलग–अलग अथवा समग्र रूप से प्रभावित होने की उम्मीद हो।

स्टैंडअलोन के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के हिस्से तौर पर हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं एवं संपूर्ण लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संशय बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान करना व उनका मूल्यांकन करना चाहे ऐसे महत्वपूर्ण मिथ्याकथन धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति प्रत्युत्तरात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient

एवं निष्पादन एवं ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने में पर्याप्त व यथोचित हों। धोखाधड़ी के कारण होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को न पकड़ पाने का जोखिम त्रुटिवश मिथ्याकथन से अधिक जोखिमपूर्ण होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की अभिकल्पना के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितिनुसार यथोचित हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम कंपनी के बारे में अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं चाहे कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एवं ऐसे नियंत्रण को प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित करने की प्रणाली विद्यमान हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की औचित्यता एवं प्रबंधन द्वारा किए गये लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की विश्वसनीता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन एवं प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की औचित्यता पर निष्कर्ष निकालना चाहे आर्थिक अनिश्चितता ऐसी घटना अथवा स्थिति से संबंधित है जो कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के तौर पर जारी रखने की योग्यता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती हों। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कंपनी में आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें अपने लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण से संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो हमें अपना अभिमत संशोधित करना आवश्यक होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं एवं स्थितियों पर कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के तौर जारी रखना बंद करना पड़ सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिरकण, संरचना एवं विषयवस्तु एवं क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहीत लेन–देन एवं घटनाएं इस तरीके में दर्शाये गये हों जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण संपादित करते हैं, का मूल्यांकन करना।

हम अन्य विषयों के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रण में अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिहिन्त किसी महत्वपर्णू अंतर सहित लेखापरीक्षा के सुनियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन्हें कंपनी के अधिशासन में प्रभार दिया गया है।

हम उन व्यक्तियों पर ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं जिन्हें अधिशासन में प्रभार दिया गया है कि हमने स्वतंत्रता के बारे

and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Company to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance of the Company, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant

में संगत नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है एवं सभी संबंधों एवं अन्य विषयों पर उनसे संवाद किया है जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने में युक्तियुक्त एवं संबंधित उपाय जहां लागू हों, माने जा सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम अनुबंध–क में आदेश के पैरा–3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. कंपनी की बहियों के सत्यापन पर आधारित और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप–निर्देशों पर 'अनुबंध–ख' में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

   (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप् किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसाकि हमें उन बहियों की अपनी जांच से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

   (ङ) निदेशक बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए, 31 मार्च, 2020 के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2020 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावकारिता के संबंध में ''अनुबंध–ग'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें और

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 (the order) issued by the central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order.

2. Based on the verification of books of account of the Company and according to information and explanations given to us, we give in the Annexure-B, a report on the directions and sub-directions, issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of section 143(5) of the Act.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by the law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

   (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rules prescribed there under.

   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2020 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

   (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over the financial reporting of the Company and operative effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C".

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं यथा संशोधित के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में:

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को अदा किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:–

(i) कंपनी ने बताया है कि उसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी का प्रभाव उसके वित्तीय विवर.ïों में अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है– वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 32 देखें। कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी सामग्री नुकसानदेह नहीं थी।

(ii) कंपनी में व्युत्पन्नी संविदा सहित कोई दीर्घावधि संविदायें नहीं की जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि हुई हो।

(iii) ऐसी कोई देयताएं नहीं हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

कृते एम डी गुजराती एंड कं
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 005301एन

ह./–
जी.एल. अग्रवाल
साझीदार
सदस्यता संख्या 087454
यूडीआईएनः 20087454AAAAEO8591

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2020

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.

(h) With respect to the other matters included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies Act (Audit and Auditors) Rules, 2014 in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Company has disclosed that the impact of pending litigations on its financial position is not ascertainable in its financial statements – Refer Note 32 to the financial statements.

(ii) The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.

(iii) The Company has no liability to transfer any amount to the Investor Education and Protection Fund during the financial year.

For **M D Gujrati & Co.**
Chartered Accountants
FRN:-005301N

Sd/-
G L Agrawal
Partner
Membership No. 087454
UDIN: 20087454AAAAEO8591

Place: New Delhi
Date: 24.08.2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलबंध–क

प्रोजेक्ट्स एवं डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तारीख की रिपोर्ट में ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुबंध–के संदर्भ में हम यह रिपोर्ट देते हैं कि

(i) कंपनी की अचल परिसम्पत्तियों/संपत्ति संयत्र एवं उपकरण (पीपीई) के सम्बन्ध में :

क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरणों और संपत्ति संयत्र एवं उपकरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किए हैं।

ख) कंपनी के पास अपनी पीपीई के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके द्वारा तीन वर्षों के दौरान एक चरणबद्ध तरीके में पीपीई का सत्यापन किया जाता है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ पीपीई का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण अनियमितताएं नहीं पाई गई।

ग) कंपनी की खाता बहियों के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास फ्री–होल्ड और पट्टे पर ली गई भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट स्वत्वाधिकार/लीज़ डीड उपलब्ध है।

(ii) कंपनी एक सेवा प्रदाय कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधि उर्वरक उद्योगों से संबंधित परियोजना पर परामर्श प्रदान करना है। तथापि कंपनी गत वित्तीय वर्ष तक सिंदरी में विनिर्माण गतिविधि कर रही थी और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से प्रबंधन निर्मित वस्तुओं, स्टोरों और अतिरिक्त कलपुर्जो और कच्ची सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कर पाया।

(iii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्म अथवा अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ (iii) (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते।

Annexure - A to the Independent Auditors Report

With reference to annexure referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date for the year ended March 31, 2020 on the financial statements of PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED, we report that :

(i) In respect of Company's fixed Assets/property plant and equipment (PPE):

a) The company has maintained proper records to show full particulars, including quantitative details and situation of property plant and equipment .

b) The Company has a regular program of physical verification of its PPE by which PPE are verified in a phased manner over a period of three years. According to the information and explanation given to us certain PPE were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification.

c) On the basis of books of accounts and according to the information and explanations given to us, the company has clear Title/Lease deeds for freehold and leasehold land

(ii) The Company is a service company and major activities are from consultancy on project related to fertilizers industries. However, company was doing manufacturing activity at Sindri till last financial year and according to the information and explanation given to us, the stock of finished goods, stores and spare parts and raw material have been not been physically verified by the management as there was lockdown in the country due to break out of covid 19 pandemic.

(iii) According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loan, secured or unsecured to companies, firm and other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013, consequently paragraph (iii)(a), (b) & (c) of order is not applicable.

(iv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है अथवा गारंटी व प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है। तदनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(v) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं एवं न ही उसके पास 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कोई ऐसा जमाराशि है जिसका दावा नहीं किया गया है। तदनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vi) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा चलाई जा रही कारोबारी गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्डों का अनुरक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,

क) भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कोई महत्वपूर्ण वैधानिक देय, यथा लागू सहित अविवादित वैधानिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा की गई।

ख) भविष्य निधि, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, आबकारी कर, कर्मचारी राज्य बीमा, उपकर और अन्य किन्हीं महत्वपूर्ण वैधानिक देयों की कोई अविवादित राशि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

ग) भविष्य निधि, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, आबकारी

(iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, made investments or provided guarantees or securities. Accordingly, reporting under clause (iv) of paragraph 3 of the Order is not applicable.

(v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March 31, 2020. Accordingly, reporting under clause (v) of paragraph 3 of the Order is not applicable.

(vi) According to the information and explanations given to us, the maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under Section 148 (1) of the Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Accordingly, reporting under clause (vi) of paragraph 3 of the Order is not applicable.

(vii) According to the information and explanations given to us,

a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including provident Fund, income tax, goods and service tax and other material statutory dues applicable to it with appropriate authorities.

b) There were no undisputed amounts payable in respect of provident fund, income tax, goods and service tax, duty of customs, employee state insurance, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2020 for a period of more than six months.

c) There were no dues of provident fund, income tax, goods and service tax, duty of customs, employee state insurance, Cess and other material statutory dues, which have not been deposited as at March 31, 2020 on account of any dispute from the date they became payable except as reported below.

देय की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में	वह अवधि, जिससे राशि सम्बन्धित है	फौरम, जहां विवाद लम्बित है।
स्वास्थ्य / शिक्षा उपकर	43.12	लागू नहीं	उच्चतम न्यायालय
बिक्री कर	416.11	1991-92 to 1998-99	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर का कार्यालय, धनबाद

(viii)हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से ऋणों अथवा उद्यारियों एवं डिबैंचर धारकों के देय चुकाने में चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के तरीके से अथवा पुनः सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखत सहित) अथवा सावधि ऋण द्वारा धन नहीं जुटाया है। तदनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(x) पीडीआईएल में एक कर्मचारी के विरूद्ध कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना और व्यक्तिगत आयकर लाभ लेने के लिए दान प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में धोखाधड़ी / वित्तीय अनिमितताओं का मामला संसूचित किया गया। यह मामला प्रथम बार दिनांक 2 मार्च, 2016 को पीडीआईएल के प्रबन्धन को संसूचित किया गया। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी विस्तृत जांच की गई और दिनांक 22 मार्च, 2018 को अपनी रिपोर्ट पीडीआईएल के प्रबन्धन को प्रस्तुत कर दी गई है। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई है और पीडीआईएल के प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि उस कर्मचारी के विरूद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बड़े दंड के लिए विभागीय जांच चल रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी ध्यान में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

(xi) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबन्धकीय परिश्रमिक, अपेक्षित अनुमोदन

Nature of Dues	Amount (INR in Lakh)	Period which the amount relates	Forum where dispute is pending
Health/ Education cess	43.12	N.A	Supreme court
Sales Tax	416.11	1991-92 to 1998-99	Assistant Commissioner of Commercial Taxes, Dhanbad

(viii)In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of loan or borrowing to a financial institution, bank, and government or due to debenture holders.

(ix) The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans, accordingly reporting under clause (ix) of paragraph 3 of the Order is not applicable.

(x) A case of fraud/financial irregularities was reported against one of the employee of PDIL in regard to CSR project and obtaining of Donation Certificates for availing personal Income Tax benefits. The case was first reported on 2nd March 2016 to PDIL management. The Vigilance Department has carried out detailed investigation and submitted their report to management of PDIL on March 22, 2018. The Report of Vigilance department has confirmed the allegations made against the said employee and requested Management of PDIL to take suitable punitive action against him. Aaccording to the information and explanations given by the management, departmental enquiry for major penalty is underway.

Except as reported above, based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, we report that, no other material fraud on the company by its officers/ employees has been noticed or reported during the course of audit for the year ended 31st March 2020.

(xi) According to the information and explanation given to us, during the year managerial remuneration

और कम्पनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों में दिए गए अधिदेश के अनुसार दिया जाता है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, अतः आदेश का अनुच्छेद (xii) लागू नहीं होता।

(xiii) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और विस्तृत जानकारी लागू लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में दी गई है।

(xiv) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान आबंटन अथवा निजी लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा निदेशकों से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ किसी गैर–नगदी लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xvi) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एम डी गुजराती एंड कं
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 005301एन

ह./–
जी.एल. अग्रवाल
साझीदार
सदस्यता संख्या 087454
यूडीआईएनः 20087454AAAAEO8591

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2020

has been provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provision of section 197 read with schedule V of the Companies Act.

(xii) As the Company is not a nidhi company, paragraph (xii) of the order is not applicable.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures, accordingly reporting under clause (xiv) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.

(xv) According to the information and explanations given to us the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons s connected to its directors and accordingly, reporting under clause (xv) of paragraph 3 of the Order is not applicable.

(xvi) According to the information and explanations given to us, company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For M D Gujrati & Co.,
Chartered Accountants
FRN: 005301N

Sd/-
G L Agrawal
Partner
Membership No. 087454
UDIN: 20087454AAAAEO8591

Place: New Delhi
Date : 24.08.2020

स्वतन्त्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनबंध–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वर्ष 2019–20 के लिए निर्देश

1. कम्पनी की लेखा बहियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार सभी लेन–देन एसएपी–आईटी प्रणाली में संसाधित किये जा रहे हैं। अनावर्ती खर्चों को छोड़कर एएमसी एवं लाइसेंस के रूप में वित्तीय अनुमान 53.62 लाख रुपये के हैं।

2. कम्पनी की लेखा बहियों के आधार पर एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने किसी मौजूदा ऋण की पुनर्रचना नहीं की है अथवा कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिये गये कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि को उसे चुकाने की अक्षमता के कारण दावा नहीं छोड़ा है/बट्टे खाते में नहीं डाला है।

3. कम्पनी की लेखा बहियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विनिर्दिष्ट योजनाओं हेतु उनके नियम व शर्तों के अनुसार प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों की समुचित ढंग से गणना की है/उपयोग किया है।

कृते एम डी गुजराती एंड कं
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 005301एन

ह./–
जी.एल. अग्रवाल
साझीदार
सदस्यता संख्या 087454
यूडीआईएन: 20087454AAAAEO8591

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2020

ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Directions under section 143(5) of the Companies Act 2013 for the year 2019-20

1. On the basis of the Books of accounts of the Company and according to information and explanation given to us, all the transactions are being processed SAP-IT Systems. The financial implications are in the form of AMC & License Fees amounting ₹53.62 lakhs for the year 2019-20 excluding non-recurring expenditure.

2. On the basis of the Books of accounts of the Company and according to information and explanation given to us, company has not restructured any existing loan or waive/write off of any debts/loans/interest etc. made by lenders to the company due to the company's inability to repay the same.

3. On the basis of the Books of accounts of the Company and according to information and explanation given to us, Company has properly accounted for/utilized all funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies as per its term and conditions.

For M D Gujrati & Co.,
Chartered Accountants
FRN: 005301N

Sd/-
G L Agrawal
Partner
Membership No. 087454
UDIN: 20087454AAAAEO8591

Place: New Delhi
Date : 24.08.2020

प्रोजेक्ट्स एवं डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र लेखा परीक्षक की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट का अनुबंध–ग

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **प्रोजेक्ट्स एवं डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड** (''कम्पनी'') के वित्तीय विवरण में की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में उस तारीख को समाप्त वर्ष की वित्तीय रिपोर्टो पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सम्बन्ध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और अनुरक्षित करने हेतु, उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में उन पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, कपटों और त्रुटियों की रोकथाम करने और पता लगाने, लेखाकरण अभिलेखों की शुद्वता और पूर्णता और कंपनी अधि िनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करने सहित, इसके कारोबार का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रचलित हो रहे थे।

लेखा–परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक नोट ('गाइडेंस नोट') और लेखापरीक्षा पर मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED** ("the Company") as of 31 March 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those

समझे जाने वाले के अनुसार किया है। वे मानक और गाईडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और कया ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावकारी ढंग से प्रचालित किए गए थे, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु निष्पादन कार्यविधियां शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ प्राप्त करना और जोखिम का निर्धारण करना कि एक महत्वपूर्ण कमी विद्यमान है और निर्धारित किए गए जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन की प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई कार्यविधियां चाहे कपट अथवा त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकरण के जोखिमों के निर्धारण सहित, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का अभिप्राय

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की उनकी देयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए निमित्त एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वे नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं चूंकि वे कंपनियों की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और प्रकृतियों को विवेकपूर्ण विवरणों, सही रूप में और उचित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि वे लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यकता अनुसार दर्ज किए गए हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान जिनका वित्तीय विवरणों पर

Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorization of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the

एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, को रोकने अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अंतर्निहीत सीमाएं

साठ–गांठ अथवा नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन अध्यारोहण, त्रुटि अथवा कपट के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या कार्यविधियों के अनुपालन के अंश में कमी आने के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी जानकारी एवं सतत सूचनाओं के अनुसार नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमी के प्रभावों/संभावी प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखे हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी दिशा–निर्देशों सम्बन्धी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर 31 मार्च, 2020 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

कृते एम डी गुजराती एंड कं
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 005301एन

ह./–
जी.एल. अग्रवाल
साझीदार
सदस्यता संख्या 087454
यूडीआईएनः 20087454AAAAEO8591

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2020

company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **M D Gujrati & Co.,**
Chartered Accountants
FRN:-005301N

Sd/-
G L Agrawal
Partner
Membership No. 087454
UDIN: 20087454AAAAEO8591

Place: New Delhi
Date:24.08.2020